न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 62/2023

अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र शंकरलाल जाति ब्राहमण निवासी थिराना तहसील नोहर हाल कोहला।

– सायल

बनाम्

1. चन्द्रप्रकाश पुत्र शंकरलाल जाति ब्राहमण निवासी थिराना तहसील नोहर हाल नई आबादी हनुमानगढ़।
2. फुसाराम पुत्र बक्शीराम जाति ब्राहमण निवासी थिराना तहसील नोहर हाल जीरकपुर।
3. शिवप्रकाश पुत्र शंकरलाल जाति ब्राहमण निवासी थिराना तहसील नोहर हाल धौलपालिया जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक कार्यालय खुंईया तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी जोशी अधिवक्ता **गैरसायलस0 2**

निर्णय दिनांकः 12/08/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 333/229 की कुल 5.7920 हैक्ट भूमि एवं इसी चक के खाता स0 334/60 की कुल 2.2760 हैक्ट भूमि तथा खाला स0 335/328 की कुल 1.4540 हैक्ट भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी भूमि का खाता व लगान मुश्तरका दर्ज है। प्रार्थी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाउ बना रखा है लेकिन अप्रार्थीगण वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि पर अजनबी केतागण को काबिज कराने पर आमादा है। सायल व गैरसायलान का सींव, डोल व लगान संबंधी हमेशा तनाजात रहता है। अगर गैरसायालान अपने मकसद मे कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि का जब तक खाता व विभाजन न हो तब तक वाद भूमि को रहन, बैय न करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:27:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर [illegible] अतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई कि रोही मौजा थिराना [illegible] नोहर के खाता

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

स0 333/229 की कुल 5.7920 हैक्ट भूमि एवं इसी चक के खाता स0 334/60 की कुल 2.2760 हैक्ट भूमि तथा खाता स0 335/328 की कुल 1.4540 हैक्ट भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थिति नही अत इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी स0 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की वाद भूमि मुश्तरका है एवं मुश्तरका खाता की भूमि पर सायल अपने सहकाश्तकारों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी नही है तथा न ही सीवं व लगान संबंधी विवाद है एवं अप्रार्थी का अच्छी भूमि बेचने का कोई ईरादा नही है तथा अप्रार्थी वाद भूमि में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो हम हमारे काश्तकारी हकूको से वंचित हो जायेगे केसीसी आदि नही ले सकेंगे हमें अपूर्णीय क्षति होगी तथा भारी नुकसान होगा इसलिए प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि में से प्रार्थी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपनी मेहनत से समतल व उपजाऊ बना रखा है। प्रार्थी की अच्छी किस्म की कृषि भूमि होने के कारण गैरसायलान अजनबी क्रेता को सायल की कृषि भूमि दिखाकर रहन/बैय करने पर उतारू है तथा सायल के हक हिस्सा की भूमि पर काबिज होना चाहते है जिसके कारण सायल को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए गैरसायलान के खिलाफ रहन, बैंय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी स0 2 ने बहस में कथन किया की वाद खाता विभाजन का है। वाद भूमि अप्रार्थीगण द्वारा किसी विशेष हिस्से का बेचान नही किया जा रहा है केवल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अपने हक व हिस्सा का बेचना किया जा रहा है, कोई भी खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा का रहन, बैय करने हेतु स्वतंत्र है। अप्रार्थी वाद भूमि का रिकार्डेड खातेदांर काश्तकार है अप्रार्थी का अच्छी भूमि को रहन, बैय करने का कोई ईरादा नही है और नही सीवं व लगान का विवाद है प्रार्थी द्वारा झुठे कथनो के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। उक्त बिन्दुओं के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 333/229 की कुल 5.7920 हैक्ट भूमि एवं इसी चक के खाता स0 334/60 की कुल 2.2760 हैक्ट भूमि तथा खाता स0 335/328 की कुल 1.4540 हैक्ट भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:27:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थी सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीग को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य होने से न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 12.04.2023 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 12/08/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:27:56 IST
Reason: SelfAttested